न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./26/2025/बाड़मेर

अपीलांट **बनाम** **रेस्पोडेंटगण**

डालुराम पुत्र श्री चैनाराम, जाति जाट, निवासी खारडी बेरी, तहसील नौखड़ा, जिला बाड़मेर।	1. नारणाराम पुत्र मूलाराम 2. भोजाराम पुत्र मूलाराम 3. धनाराम पुत्र मूलाराम 4. राणाराम पुत्र भानाराम 5. खेताराम पुत्र भानाराम 6. जमनादेवी पत्नी गोमाराम 7. रामूदेवी पत्नी तेजाराम 8. पनाराम पुत्र तेजाराम 9. टीकमाराम पुत्र पोकराराम 10. मदनाराम पुत्र पोकराराम, जाति जाट, निवासी खारडी बेरी, तहसील नौखड़ा, जिला बाड़मेर। 11. तहसीलदार, नोखड़ा। 12. शाखा प्रबंधक, आर. एम. जी. बी. बैक शाखा सड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 110/2024 बउनवान नारणाराम वगैरह बनाम डालुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पो. संख्या 1, 2, 6, 7, 9, 10 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—11.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 से 11 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा खारडी बेरी, पटवार हल्का धोलानाडा, तहसील नौखड़ा के खसरा संख्या 676/252, 672/252, 675/252, 669/252 आयी हुई है। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 247 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पों. संख्या 01 से 11 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा खारडी बेरी, पटवार हल्का धोलानाडा, तहसील नौखड़ा के खसरा संख्या 676/252, 672/252, 675/252, 669/252 आयी हुई हैं। जिसमें आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251- ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 247 जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, नोखड़ा (गुडामालानी) को कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई है जिसमें अपीलांट या किसी पड़ोसियान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पों. के दबाव में रहते हुए तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में अपीलांट के आलमात के बारे में कोई हवाला नहीं दिया गया है, जबकि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर अपीलांट के रहवासी मकान, ढाणीयां आदि बना हुआ है। प्रश्नगत एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में इसके उलट है। प्रस्तावित रास्ते की जगह पहले से कोई रास्ता चलायमान नहीं है। फिर भी विधि के नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था कि रेस्पों. द्वारा जो खसरा संख्या 676/252 बताया गया है उसमें आने जाने हेतु खसरा संख्या 247 में गलत रूप से रास्ता मांगा गया है वास्तव में रेस्पों. व अन्य खातेदारों का खेत खसरा संख्या 252 संयुक्त रूप से था, उनके द्वारा अपने खेतों के बंटवारे से पूर्व अपीलकर्ता के खेत खसरा संख्या 247 में रास्ते की मांग की थी जिस पर अपीलकर्ता द्वारा रेस्पों. व अन्य खातेदारों को अपने खेत में से होकर नया रास्ता निकालकर दिया गया था। इसिलये जो रास्ता मांगा गया है वह औचित्यहीन है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अपीलांट को तंग परेशान करने व रंजिश रखते हुए अपीलाधीन आवेदन प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व राजस्व कर्मचारियों के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया. जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पों. को उसकी खातेदारी के खेत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।, हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 02.09.2024 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 16.09.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित रास्ते को सबसे निकटतम दूरी का रास्ता होने से अपीलाधीनं आदेश पारित किया गया है जो विधि संगत है। उक्तानुसार रेस्पोंडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। जहां तक अपीलांट का मौका रिपोर्ट से पूर्व सूचना नहीं देने का प्रश्न है तो उस संबंध में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को दिनांक 02.09.2024 को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर दिनांक 16.09.2024 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है। राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 69 में वर्णित है कि आई.एल.आर. से कम रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना चाहिये। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सारं नहीं है। यदि किसी खसरें में से पूर्व में रास्ता दिया गयां है तो दूसरी बार रास्ता देने हेतु भी कोई विधि वाधित नहीं करनी है। रेस्पोडेंटस / प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यंकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट / प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 110 / 2024 बउनवान नारणाराम वगैरह बनाम डालुराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

11/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर